

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2790

दिनांक 15-02-2019

आदेश संख्या : 334/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 में दिनांक 18/02/2019 से 12/04/2019 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 18/02/2019 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र. सं.	कनिष्ठ लेखाकार का नाम एवं पिता का नाम	मेरिट नम्बर	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	रामराज चौधरी S/o धनाराम चौधरी	630 / 2013	आयुक्त, पंचायती राज. जयपुर।
2	राजेन्द्र भागवानी S/o एल.डी. भागवानी	1039 / 2013	अधीशाषी अभियंता, शहर खण्ड-4 (दक्षिण) पी.एच.ई. डी. विभाग, जयपुर।
3	विकास कुमार कलवानिया S/o ओमकारमल जाट	1150 / 2013	प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सहकारिता सेवाएँ, (एक्स काडर), जयपुर।
4	दीप चन्द यादव S/o नन्दा राम यादव	1236 / 2013	कोषाधिकारी (पेंशन) कोष एवं लेखा, जयपुर।
5	श्याम प्रकाश सैनी S/o धूर मल सैनी	1338 / 2013	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, आर. डब्ल्यू.एस.एस.एम.बी., जयपुर।
6*	रवि कुमार शर्मा S/o श्री छगन लाल शर्मा	1784 / 2013	ब्लॉक संसाधन केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्(एक्स काडर पद), सिकराय, दौसा।
7	कृष्ण कुमार वर्मा S/o राम चन्द्र हल्दूनिया	1964 / 2013	प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सहकारिता सेवाएँ, (एक्स काडर), जयपुर।
8	निशा वर्मा D/o मूल चंद वर्मा	2320 / 2013	राजस्थान चिकित्सा शिक्षा संस्थान, जयपुर।
9	ज्योति सोनी D/o निरजंन सोनी	2605 / 2013	सचिव, ललित कला अकादमी (एक्स काडर पद), जयपुर।
10	भगवत् गोस्वामी S/o जगदीश प्रसाद	2678 / 2013	आयुक्त, दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरीडोर (डी.एम.आई.सी) जयपुर।
11	कंवर पाल उडेनिया S/o हरिनारायण उडेनिया	3162 / 2013	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
12*	सुरेश चंद मीणा S/o रामस्वरूप मीणा	2872 / 2013	उपकोषाधिकारी (पेंशन) कोष एवं लेखा, अलवर।
13	रोहिताश यादव S/o सीता राम यादव	693 / 2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अमरसर, जयपुर।
14*	जितेन्द्र चतुर्वेदी S/o रामेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी	2966 / 2013	निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर।
15	छवि शर्मा D/o राजेश शर्मा	3399 / 2013	प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सहकारिता सेवाएँ, (एक्स काडर), जयपुर।
16	भाग चन्द परेवा S/o श्री रमेश चन्द्र परेवा	3229 / 2013	शासन सचिव, कार्मिक विभाग (जी) शासन सचिवालय, जयपुर
17	खुशबू जैन S/o श्री पारस कुमार जैन	2107 / 2013	सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी **कनिष्ठ लेखाकार** अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 6, 12, 14 पर * अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पर उनका मनोनयन उनके स्वयं के खर्चे पर (बिना टीए/डीए) किया जाता है।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2730

15-02-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, **हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017** को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।

. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावे क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।

. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)